

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(8)न्याय/16

जयपुर, दिनांक

11 MAY 2017

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 28.09.2016 द्वारा आवश्यक अस्थायी तौर पर पदोन्नत किये गये सहायक विधि परामर्शीगणों की आवश्यक अस्थायी सेवा अवधि में दिनांक 28.03.2017 से छः माह अथवा नियमित डीपीसी से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक में से जो भी पहले हो तब तक के लिए अभिवृद्धि की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति कार्मिक (क-2) विभाग की आई.डी. संख्या 515/कार्मिक/क-2 दिनांक 04.05.2017 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,



(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि राज्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अधिकारी/संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।


11-05-27
संयुक्त शासन सचिव